

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, भोपाल


क्रमांक : एफ 5-1/2022/29-2

भोपाल, दिनांक : 25.08.2022

संशोधन विज्ञप्ति

इस विभाग के समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 18.08.2022 द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अध्यक्ष के रिक्त तथा दिनांक 31.03.2023 तक रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें रिक्त पद पूर्ति हेतु विज्ञापित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उज्जैन एवं इंदौर क्र.-1 विलोपित किया जाकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग धार एवं मंदसौर जोड़ा जाता है।

- 2/ विस्तृत विज्ञप्ति वेबसाइट <https://rationmitra.nic.in> पर भी उपलब्ध है।
- 3/ विज्ञापन के शेष बिन्दु एवं शर्तें पूर्ववत होंगी।


25/8/2022
(बी.के. चन्देल)
उप सचिव